

प्रपत्र 'ख'

लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरणों
अथवा विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण (Surrender)/ रद्द करने के लिए

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (धारा-9) तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 (कंडिका 3 का

उपकंडिका 13, 14 तथा कंडिका 4 उपकंडिका 7, 8, 9) द्रष्टव्य)

पारिवारिक फोटो

1. आवेदक का नाम
2. आधार/ EID no
3. मोबाईल नं०-
4. आवेदक के पति/पिता का नाम
5. पूर्ण आवासीय पता
6. विद्यमान राशन कार्ड की सं०-
7. सम्बद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति सं०-
8. विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण का कारण-
(क) निवास में परिवर्तन --
(ख) जन्म या मृत्यु --
(ग) कार्ड में वर्णित ब्योरो में अशुद्धियाँ --
(घ) अन्य कारण --
9. विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण हेतु विवरणी -

क्र०	नाम	पति/पिता का नाम	लिंग	उम्र	वैवाहिक स्थिति	संबंध
1	2	3	4	5	6	7

आधार / EID no	मोबाईल नं०	व्यवसाय / सरकारी सेवक	आमदनी का स्रोत	मासिक आय
8	9	10	11	12

10. विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण/रद्द करने का कारण -

(क) ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हों/नहीं, पर टिक लगावे :-

- (i) मोटर चालित तिपाहिया/चार पहिया वाहन है, हों ☐ नहीं ☐
- (ii) मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण है, हों ☐ नहीं ☐
- (iii) सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है, हों ☐ नहीं ☐
- (iv) परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000/- रु० से अधिक है, हों ☐ नहीं ☐
- (v) आयकर देते हैं, हों ☐ नहीं ☐
- (vi) व्यावसायिक कर का भुगतान करते हैं, हों ☐ नहीं ☐
- (vii) जिस मकान में रहते हैं, उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरा है, हों ☐ नहीं ☐
- (viii) परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, हों ☐ नहीं ☐
- (ix) दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है, हों ☐ नहीं ☐
- (x) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है, हों ☐ नहीं ☐
- (xi) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, हों ☐ नहीं ☐

अगर है तो उसका विवरण -

(क) किस सेवा में है -

(ख) कहाँ पदस्थापित है -

(ग) कितना मासिक आमदनी है -

(ख) शहरी क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हों/नहीं, पर टिक लगावे :-

- (i) आयकर अदा करते हैं, हों ☐ नहीं ☐
 - (ii) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एवं वर्ग 4 श्रेणी के सरकारी सेवा (अनु०जाति/अनु० जनजाति के Group 'D' के कर्मियों को छोड़कर) में है, हों ☐ नहीं ☐
- अगर ☐ उसका विवरण -
- (क) किस सेवा में है -
- (ख) कहाँ पदस्थापित है -

- (ग) कितनी मासिक आमदनी है -
- (iii) व्यवसायिक कर अदा करते हैं, हाँ ☐ नहीं ☐
- (iv) तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है, हाँ ☐ नहीं ☐
- (v) परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000/- रु० से अधिक है, हाँ ☐ नहीं ☐
- (vi) दो पहिया वाहन, रेफ्रीजरेटर तथा वाशिंग मशीन तीनों उपकरण हैं, हाँ ☐ नहीं ☐
- (vii) गृहस्थी में चार पहिया वाहन है, हाँ ☐ नहीं ☐
- (viii) गृहस्थी में वाशिंग मशीन है, हाँ ☐ नहीं ☐

उपरोक्त कंडिका के अनुसार विद्यमान राशन कार्ड में आवश्यक उपांतरण किया जाय/कंडिका के अनुसार पात्र गृहस्थियों हेतु मानक मानदंड से बाहर हो जाने के कारण विद्यमान राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाय (राशन कार्ड संलग्न)

दिनांक
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

घोषणा

महोदया/महोदय

मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ की आवेदन-पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियाँ सही हैं । अगर आवेदन पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक/कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा ।

दिनांक
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

- अधिसूचना संख्या-19431 दिनांक-23.12.2013 की शेष प्रविष्टियाँ पूर्ण रहेंगी।
- समय-समय पर सेवा प्राप्त करने हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आवश्यकतानुसार इससे संबंधित अन्य प्रपत्र विधि विभाग के परामर्श के पश्चात जारी कर सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

अधिसूचना

संख्या-18/लो०से०अ०-12-01/2016(खण्ड)सा०प्र०/17409/ अधिसूचना संख्या-17408/
दिनांक-30.12.16/ का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव